

3

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

-:: अधिसूचना ::-

क्रमांक 3483 /7-ए/जसं./तशा/ डी-4/औजप्र/01, दिनांक 21/10/2020
छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम-1931 (क्र.-3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-213/7-ए/जसं./तशा/डी-4/औजप्र/01, दिनांक 16.01.2020 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती है :-

स. क्र.	उपयोग का प्रकार		विशेष विवरण	जल-दर	टीप
1	2		3	4	5
1.	औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन	अ	शासकीय स्रोत :-		
		1	बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से ...		
		(i)	शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से..	रु. 10.50 प्रति घ.मी.	-
		(ii)	संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से....	रु. 10.50 प्रति घ.मी.	-
		2	नहर प्रणाली से.....	रु. 12.25 प्रति घ.मी.	-
		ब	नैसर्गिक स्रोत से :-		
		(i)	नदी/नाले आदि के बहाव से....	रु. 5.00 प्रति घ.मी.	-
		(ii)	भू-जल से.....	रु. 10.00 प्रति घ.मी.	इस जल-दर पर प्राप्त जल-कर की शत प्रतिशत राशि, पृथक से निर्मित 'भू-जल संरक्षण कोष' में जमा की जाए। इस कोष की राशि का उपयोग भू-जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा।
		स	स्वनिर्मित स्रोत से...	रु. 3.50 प्रति घ.मी.	-

--2

E:\D.2-WRD 2017\Hindi Letter\DAF4V-4 doc

"जल ही जीवन है"

2.	ऐसे उद्योग (जैसे-कोल्ड ड्रिक्स, मिनेरल वॉटर, शराब आदि) जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रूप में करते हैं.....	अ	शासकीय स्रोत :-		
		1	बांध/जलाशय/बैराज/एनीकट आदि से ...		
		(i)	शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से..	रु. 200.00 प्रति घ.मी.	इन जल-दरों पर प्राप्त जल-कर की शत प्रतिशत राशि, पृथक से निर्मित 'भू-जल संरक्षण कोष' में जमा की जाए। इस कोष की राशि का उपयोग भू-जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा।
		(ii)	संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से....	रु. 200.00 प्रति घ.मी.	
		2	नहर प्रणाली से.....	रु. 200.00 प्रति घ.मी.	
		ब	नैसर्गिक स्रोत से :-		
(i)	नदी/नाले आदि के बहाव से....	रु. 100.00 प्रति घ.मी.			
(ii)	भू-जल से.....	रु. 250.00 प्रति घ.मी.			
		स	स्वनिर्मित स्रोत से...	रु. 80.00 प्रति घ.मी.	-
3.	जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात् पुनः प्राप्ति) 25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परि.	अ	शासकीय स्रोत :-		
		1	बांध/जलाशय/बैराज/एनीकट आदि से...	रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जस	-
		2	नहर प्रणाली से...	रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उत्पादन पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जस	-
		ब	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से	रु. 0.35 (पैतीस पैसे)/वि.ई.उ. पर	-
(ख)	25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें		शासकीय/नैसर्गिक/स्वनिर्मित आदि विभिन्न स्रोत से....	रु. 0.06 (छः पैसे)	-

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 21/10/2020) से प्रभावशील रहेंगी।

3. जल दरों का पुनर्निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

..3

E:\D.2-WRD 2017\4and\Letter\04F4F-4.doc

"जल ही जीवन है"

4. औद्योगिक जल-दर निर्धारण संबंधी पूर्व की अधिसूचना, दिनांक 24.02.2016 की तालिका के स.क्र.-1 अ-1(ii) 'विशेष विवरण' अंतर्गत उल्लेखित "संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से...." की श्रेणी को विलोपित किया गया है। परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से ही जिन संस्थानों को जल आबंटित है, या जो जल उपयोग कर रहे हैं हेतु, शासन की अधिसूचना दिनांक 24.02.2016 अनुसार इस श्रेणी हेतु निर्धारित जल-दर रु. 5.50/घ.मी. ही लागू रहेगी एवं इसका लाभ उन्हीं संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा। संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल-कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित प्रकरण में, इस अधिसूचना की तालिका के स.क्र.-1, कॉलम क्रमांक-3 के बिन्दु क्र.-1(i)-"शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना" अंतर्गत कॉलम क्रमांक-4 में प्रस्तावित जल-दर रु.10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत्समय में प्रचलित जलदर लागू होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(वृन्दावन सेन)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,

पृ. क्रमांक...3484.../7-ए/जसं./तशा/डी-4/ओजप्र/01,
प्रतिलिपि :-

दिनांक 21/10/2020

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/कृषि विभाग/वित्त विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग/राजस्व विभाग/लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग/सामान्य
प्रशासन विभाग/विधि विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/ऊर्जा विभाग/
वन विभाग/नगरीय प्रशासन विभाग/आयाकट विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,
नवा रायपुर-अटल नगर।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर-अटल नगर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर-अटल नगर।
4. संयोजक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-01, तेलीबांधा रायपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर/रायपुर।
6. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/बस्तर/सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़।
7. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
8. मुख्य अभियंता,परियोजना/कछार, जल संसाधन विभाग,
रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर।
9. जिलाध्यक्ष, जिला-रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर)/जशपुर/रायगढ़/जांजगीर-चांपा/
सरगुजा (अंबिकापुर)/कोरबा/कोरिया/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा (कबीरधाम)/धमतरी/
महासमुंद/दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)/उत्तर बस्तर (कांकेर)/नारायणपुर/बीजापुर/
बलौदाबाजार/गरियाबंद/-बालोद/बेमेतरा/कोण्डागांव/सुकमा/मुंगेली/बलरामपुर/सूरजपुर
/गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही।
10. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, उद्योग भवन, तेलीबांधा,
रायपुर।
11. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.-1, तेलीबांधा, रायपुर, (छ.ग.)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. क्षेत्रीय संचालक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, एल.के. कॉर्पोरेट एण्ड लॉजिस्टिक पार्क, दूसरा माला,
धमतरी रोड, डुमरतराई, रायपुर।
14. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता
(विभागाधीन समस्त मैदानी अधीक्षण अभियंता /कार्यपालन अभियंता)।
15. उप नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
नवा रायपुर-अटल नगर की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित। कृपया तत्काल
प्रकाशन उपरांत अधिसूचना की 100 प्रतियों का प्रदाय विभाग को शीघ्र करने का कष्ट करें।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग